अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्राप्त होने वाली शैक्षणिक सुविधाओं का अध्ययन (छ.ग.राज्य के संदर्भ में)

हरजिन्दरपाल सिंह सलूजा , रविश कुमार सोनी , एच.एस.भाटिया , संगीता सकवार मेहुरिया
सहा. प्राध्यापक (वाणिज्य) शास. विश्वनाथ यादव तामस्कर महाविद्यालय,दुर्ग (छ.ग)
सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई नगर (छ.ग.)
सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शास. दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव (छ.ग.)
सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) डॉ. खूबचन्द बघेल शास.स्ना.महा.भिलाई 3,(छ.ग.)

सारांश : छत्तीसगढ़ राज्य में कुल जनसंख्या 2,55,45,198 है। जिसमें अनुसूचित जनजाति 78,22,902 व अनुसूचित जाति की संख्या 32,74,269 (2011 की जनगणना अनुसार) है। अधिकतर अनुसूचित जाति–जनजाति दूरस्थ, पहाड़ी, जंगली स्थानों पर निवास करती है। प्रदेश का सर्वांगीण विकास इनके विकास के बिना संभव नहीं है विकास का मूल आधार शिक्षा है। अतः छ.ग. शासन ने इन वर्गों के भौतिक विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन किया है।

प्रस्तवाना :

भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 में सौंपे गए कर्तव्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के अभिवृद्धि के लिए ''संविधान के अनुच्छेद 244 एवं संविधान के अनुच्छेद 275 (1) में निहित दायित्वों के निर्वहन के लिए संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत निहित प्रावधान के अनुरूप छ.ग. राज्य में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का गठन किया गया है। भारत के संविधान में व्यक्त 'सामाजिक न्याय' के संकल्प ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों को समानता के अधिकार से सम्पन्न करते हुए उनकी प्रगति के रास्ते खोल दिये हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्ताव 1968 में शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने और अंतर समूह असमानताओं को कम करने हेतु जोरदार प्रयत्नों की मांग की गई।

शिक्षा नीति 1986 में असमानताओं को दूर करने तथा समान अवसर से वंचित रहे व्यक्तियों की ओर ध्यान देकर समानता लाने पर विशेष बल दिया गया। इस नीति में स्त्रियों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, शैक्षिक रूप से पिछड़े अन्य वर्गों और क्षेत्रों के अल्पसंख्यकों व विकलांगों को ऐसा वंचित समूह माना गया है जिसकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के व्यक्तियों में साक्षरता का प्रतिशत तुलनात्मक रूप से कम है उसमें भी अनुसूचित जनजातियों की स्थिति कमजोर है छ.ग. शासन द्वारा अनेक प्रकार की योजनाओं का संचालन किया है जिससे संबंधित वर्गों को विकास यात्रा में शामिल करने के निरंतर प्रयास हुए जिसमें इन वर्गों में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है। वर्ष 2002–03 में पहली से 12वीं में दर्ज संख्या 1241099 थी जो बढ़कर वर्ष 2009–10 में 1691017 हो गई। जवाहर आदिम जाति उत्कर्ष विद्यार्थी योजना अंतर्गत लाभान्वित विद्यार्थियों में से 13 विद्यार्थी आई आई टी/एन.आई.टी, 15 विद्यार्थी मेडिकल, 101 विद्यार्थी इंजीनियरिंग तथा 06 विद्यार्थी एल एल बी आनर्स जैसे पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने में सफल हुए।

राज्य में वर्तमान समय में शिक्षा के विकास के लिए अनेकों योजनाओं का संचालनकिया जा रहा है इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों का शैक्षिक विकास करना है जिससे सभी वर्गों का उत्थान हो।

योजना का मूल उद्देश्य :–

अनुसूचित जाति/जनजातियों के शैक्षिक विकास हेतु अनेक योजनाओं का संचालन करना। शैक्षिक संस्थाओं व छात्रावासों की स्थापना करना एवं शिक्षा के प्रचार प्रसार एवं अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शैक्षणिक प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्ति एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना।

शोध अध्ययन के उद्देश्य :–

अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को प्राप्त होने वाली शैक्षणिक सुविधाओं का अध्ययन करना।

शोध अध्ययन की परिकल्पनाएं :–

राज्य शासन द्वारा अनेक प्रकार की योजनाओं का कियान्वयन किया जा रहा है ये योजनाएं अनुसूचित जाति/जनजाति के शैक्षिक विकास में सहायक सिद्ध हुई है।

शोध अध्ययन की विधि व योजनाएं :–

प्रस्तुत शोध राज्य स्तर पर पूर्ण किया गया है। विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास हेतु संचालित योजनाओं/प्रदान की जाने वाली सुविधाओं व प्रगति का अध्ययन किया गया है। अध्ययन हेतु सामग्री प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2011–12 छत्तीसगढ़ शासन (आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास)

विकासधारा –

छ.ग. शासन (आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग 2010 व अन्य शासकीय विभागों से प्राप्त की गई है।

शोध अध्ययन में से संबंधित प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार है :–

(1) राज्य छात्रवृत्तियां :– प्रदेश के लगभग 22.00 लाख आरक्षित वर्ग के छात्र–छात्राओं को जो विभिन्न स्तर पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत हैं के शैक्षनिक विकास एवं प्रोत्साहन के लिए विभिन्न छात्रवृत्तियां विभाग द्वारा प्रदान की जाती है:–

तालिका क्र. 1
अनु.जाति एवं अनु.जनजाति के छात्रों को राज्य छात्रवृत्ति योजनांतर्गत वितरित राशि एवं छात्रों की संख्या (राशि लाख में)

क्रं.	वर्ष	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
		व्यय	लाभान्वित छात्र	उपलब्धि का प्रतिशत	व्यय	लाभान्वित छात्र	उपलब्धि का प्रतिशत
1.	2009–10	1440.00	415320	36.31	3014.80	882509	32.55
2.	2010–11	1474.95	399288	34.91	4083.88	960630	35.43
3.	2011–12	1052.60	328983	28.76	3041.41	867528	32.00
योग		3967.55	1143591		10140.09	2710667	

स्त्रोत : प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2011–12 छ.ग. शासन (आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग) पृष्ठ क्र. 16,17,18

टीप : उक्त तालिका क्र. 1 के अवलोकन से पता चलता है कि वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक अनु.जाति के 1143591 व अनु.जनजाति के 2710667 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

हरजिन्दरपाल सिंह सलूजा , रविश कुमार सोनी , एच.एस.भाटिया , संगीता सकवार मेहुरिया, "अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्राप्त होने वाली शैक्षणिक सुविधाओं का अध्ययन (छ.ग.राज्य के संदर्भ में)" Golden Research Thoughts Vol-3, Issue-2 (Aug 2013): Online & Print

ISSN 2231-5063
Volume-3, Issue-2, August-2013

अनु.जाति एवं अनु.जनजाति के छात्रों को राज्य छात्रवृत्ति योजनांतर्गत वितरित व्यय

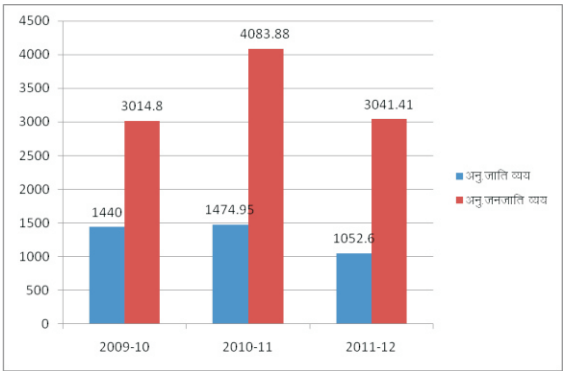

राशि

स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति :– अनु.जाति व जनजाति वर्ग के पात्र छात्र/छात्राओं को कक्षा 11 वीं से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जिसमें मेडिकल व इंजीनियरिंग शिक्षा भी शामिल है के अध्ययन के लिए प्रदान की जाती है।

तालिका क्रं. 2
अनु.जाति/अनु.जनजाति के छात्रों को स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति वितरण एवं छात्रों की संख्या(राशि लाख में)

क्रं.	वर्ष	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
		व्यय	लाभान्वित छात्र	उपलब्धि का प्रतिशत	व्यय	लाभान्वित छात्र	उपलब्धि का प्रतिशत
1.	2009–10	1435.00	64316	35.3	1551.64	73472	32.22
2.	2010–11	1481.78	75798	41.62	1660.00	88545	38.84
3.	2011–12	1199.00	41985	23	1976.40	65952	28.93
	योग	4115.78	182099		5188.04	227969	

स्त्रोत : प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2011–12 छ.ग. शासन (आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग) पृष्ठ क्र. 16,17,18

उक्त तालिका क्र. 2 से स्पष्ट होता है कि स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनु.जाति के 182099 व अनु.जनजाति के 227969 छात्रों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2010–11 में उपलब्धि का प्रतिशत अनु.जाति में 41.62 प्रतिशत वर्ष 2011–12 में 23 प्रतिशत व अनु.जनजाति में वर्ष 2010–11 में 38.84 प्रतिशत व वर्ष 2011–12 में 28.93 प्रतिशत रहा।

3.छात्रों को निःशुल्क सायकल प्रदाय :– कक्षा 9वीं में प्रवेशित अनु. जाति/जनजाति की समस्त छात्राओं को सायकल प्रदाय की जाती है।

तालिका क्रं. 3
अनु.जाति/अनु.जनजाति के छात्रों को निःशुल्क सायकल प्रदाय एवं छात्रों की संख्या

(राशि लाख में)

क्रं.	वर्ष	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
		व्यय	लाभान्वित छात्र	उपलब्धि का प्रतिशत	व्यय	लाभान्वित छात्र	उपलब्धि का प्रतिशत
1.	2009–10	53.72	3471	30	10.50	27421	30
2.	2010–11	114.98	3655	31.70	793.68	28447	32
3.	2011–12	120.00	4393	3813	820.00	32907	37
	योग	288.70	11519		1624.18	88775	

स्त्रोत : प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2011–12 छ.ग. शासन (आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग) पृश्ठ क्र. 16,17,18

तालिका क्र. 3 से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2009–10 से 2011–12 के बीच अनु.जाति के 11519 व अनु.जनजाति के 88775 छात्रों को सायकल प्रदान किया गया।

तालिका क्रं. 4
अनु.जाति/अनु.जनजाति के छात्रों के लिए संचालित आश्रम संख्या एवं स्वीकृत सीट्स

क्रं.		कुल संचालित आश्रमों की संख्या				स्वीकृत सीट्स			
		बालक	कन्या	संयुक्त	योग	बालक	कन्या	संयुक्त	योग
1.	प्राथमिक आश्रम अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	484	310	254	1048	31920	19500	15905	67325
		22	16	02	40	1250	960	100	2310
2.	माध्यमिक आश्रम अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	33	49	03	85	3105	4750	300	8155
		01	02	0	03	50	220	0	270
3.	प्री मैट्रिक छात्रावास अनु. जाति/अनु.जनजाति	860	376	–	1236	35180	19537	–	54717
		186	135	–	321	6900	6570	–	13270
4.	पोस्ट मैट्रिक छात्रावास अनु. जनजाति अनु.जाति	130	125	–	255	7205	7070	–	14275
		39	34	–	73	2300	1950	–	4250
	योग :	1755	1047	259	3061	87910	60557	16305	164572

स्त्रोत : प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2011–12 छ.ग. शासन (आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग) पृष्ठ क्र. 28,29,30

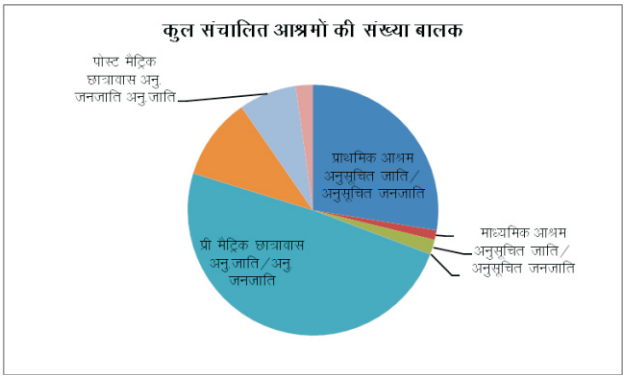

तालिका क्र. 4 से स्पष्ट होता है कि अनु.जाति व अनु.जनजाति के छात्रों के लिए कुल 3061 आश्रम हैं। जिसमें 87910 बालक 60557 कन्याएं व 16305 संयुक्त छात्र व कुल 164572 छात्रों को आश्रम में रहने व अध्ययन करने की सुविधा प्रदान की जाती है।

तालिका क्रं. 5
अनु.जाति/अनु.जनजाति के छात्रों के लिए संचालित छात्रवृत्ति योजनाएं (राशि लाख में)

क्रं.	योजना का नाम	छात्र संख्या एवं व्यय					
		2009–10		2010–11		2011–12	
		व्यय	छात्र	व्यय	छात्र	व्यय	छात्र
1.	प्राथमिक शाला (संस्था)	32439.13	988102	32629.25	16941	26510.89	17278
2.	माध्यमिक शाला (संस्था)	30772.54	422902	32435.69	6202	33716.24	6646
3.	हाईस्कूल (संस्था)	1948.69	153294	3055.54	587	3099.18	639
4.	प्रवीण्य छात्रवृत्ति	2.20	349	2.55	364	0.93	225
5.	कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना	182.90	44231	209.73	20437	–	–
6.	उच्चतर माध्यमिक शाला	13545.93	78302	14657.21	861	17620.40	709
	योग	78891.39	1687180	82989.97	45392	80948.64	25497

स्त्रोत : प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2011–12 छ.ग. शासन (आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग) पृष्ठ क्र. 16,17,18,19

उक्त तालिका क्र. 5 से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2009–10 में 1687180 छात्रों को राशि 78891.39 लाख, वर्ष 2010–11 में 45392 छात्रों को राशि 82989. 97 लाख व 2011–12 में 25497 छात्रों को 80948.64 लाख राशि विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत व्यय की गई।

निष्कर्ष :–

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के शैक्षणिक उत्थान

ISSN 2231-5063
Volume-3, Issue-2, August-2013

हेतु चलाई जाने वाली योजनाओं से लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है। स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है किन्तु ग्रामीण क्षेत्र अभी भी पिछड़ा है एवं बालिकाओं में शिक्षा का प्रतिशत कम है। इन वर्गों में जागरूकता की कमी है। चूँकि वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में नये–नये अनुसंधान हो रहे हैं शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। अतः आवश्यकता है इन वर्गों व पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाओं की बढ़ोतरी की जाये जिससे ये वर्ग समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके।

सुझाव :–

अध्ययन में यह बात सामने राज्य अपनी योजनाओं के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए कई नवीन योजनाएं शुरू की है जिसके परिणामस्वरूप साक्षरता का प्रतिशत अनु.जाति में 63.09 प्रतिशत व अनु.जनजाति में 52.20 प्रतिशत बढ़ा है शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासी एवं अनुसूचित जाति समुदायों की विशिष्ट उपलब्धियां रेखांकित की जाने लगी है। सामाजिक क्षेत्र में इन वर्गों की प्रतिश्ठा में लगातार वृद्धि हुई है। फिर भी आवश्यकता है कि इन वर्गों के अभिभावकों में जागरूकता लाने की, ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार–प्रसार, बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, ऐसे उपाय जिससे बच्चे आकर्शित होकर शाला आये व नियमित अध्ययन करें।

संदर्भ ग्रंथ :–

1.विकासधारा 2010 छ.ग. शासन (आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग।
2.प्रशासकीय प्रतिवेदन 2011 छ.ग. शासन(आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग।
3.छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्या. रायपुर लक्षित वर्ग के लिए स्वरोजगार की आर्थिक विकास योजनाएं 2010–11
4.छ.ग. समग्र सामान्य ज्ञान (नवबोध प्रकाशन रायपुर) 2012
5.अनुसूचित जाति का विकास : दृष्टिकोण, नीतियां एवं कार्यक्रम 2008 राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद।
6.रिसर्च जनरल ऑफ सोशल एंड लाइफ साइंस, रीवा (म.प्र.) जून 2011